संख्या-33/ 2018/ 2511/ 77-3-18-223एम/ 17

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमतीनगर,
लखनऊ।

**औद्योगिक विकास अनुभाग-3** **लखनऊ:दिनांक: 18 सितम्बर, 2018**

विषय:-आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु एक्सप्रेसवे पर चयनित स्थलों में से प्रथम चरण में 15 स्थलों पर पुलिस चौकियों के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-593/ यूपीडा/ 17/ 723-।।।, दिनांक 10.05.2018 एवं पत्र संख्या-879/ यूपीडा/ 17/ 723-।।।/ टेक्निकल, दिनांक 27.07.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 करोड शासनादेश संख्या-13/ 2018/ 1480/ 77-3-2018-6 बजट/ 16, दिनांक 01.05.2018 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी थी जिसमें से शासनादेश संख्या- 21/ 2018/ 2171/ 77-3-2018-6 बजट/ 16, दिनांक 05.07.2018 द्वारा रू0 461.66 करोड व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु चयनित स्थलों में से प्रथम चरण में 15 स्थलों पर पुलिस चौकियों के भवन निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 2982.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-13/ 2018/ 1480/ 77-3-2018-6बजट/ 16, दिनांक 01.05.2018 व शासनादेश संख्या- 21/ 2018/ 2171/ 77-3-2018-6 बजट/ 16, दिनांक 05.07.2018 के अनुक्रम में अवशेष धनराशि रू0 38.34 करोड में से रू0 20.00 करोड (रूपये बीस करोड मात्र) व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रायोजना प्रस्ताव में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण रिटेनिंग वाल के साथ कराये जाने के कारण क्रमशः रू0 28451.00 प्रति र0मी0 एवं रू0 35710.00 प्रति र0मी0 प्रस्तावित की गई है, जो

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बहुत अधिक है। अतः इस संबंध में यूपीडा द्वारा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण रिटेनिंग वाल के साथ कराये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(2) प्रायोजना प्रस्तावों का गठन कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर किया गया है। अतः प्रायोजना प्रस्तावों का जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर विस्तृत आंगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त निर्गत की जाये।

(3) प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त की जायेंगी। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जाये।

(4) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(6) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यो की द्विरावृत्त (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) यूपीडा द्वारा कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता अपने स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(8) धनराशि देय होने तथा तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही उसे राजकोष से आहरित किया जायेगा और आहरित कर सीधे कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) किसी भी परिस्थिति में पूर्व से धनराशि का आहरण करके यूपीडा के पी0एल0ए0 खाते, बैंक खाते, अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(11) व्यय की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा द्वारा यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/ 2018/ बी-1-375/ दस-2018-231/ 2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**3.** उपर्युक्त प्रस्तर-2 में व्यय हेतु अनुमन्य / स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 20.00 करोड (रूपये बीस करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-33/ 2018/ 2511(1)/ 77-3-18, तददिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

**1.**महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
**2.**महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3.प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग विकास निगम लि0 (यूपीएसआईसी), 110 औद्योगिक अस्थान, फजलगंज, कानपुर।
4.मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5.निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
**6.**वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/ औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
**7.**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-4 ।
**8.**गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।